प्रेस नोट दिनाँक-07.11.2022

(1). दिनाँक-07.11.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया।

(2). आज दिनांक 07.11.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(3). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 10 लीटर कच्ची व 18 क्वार्टर देशी शराब बरामद की।

(क). वरि0उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह थाना भरतकूप तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त विनोद कुमार पटेल पुत्र रामखिलावन निवासी अकबरपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 18 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. वरि0उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह थाना भरतकूप
2. आरक्षी मोहम्मद इरफान

(ख). उ0नि0 श्री बलदेव सिंह थाना मानिकपुर तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त रज्जन कोल पुत्र रामलखन कोल निवासी सरहट थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री बलदेव सिंह थाना मानिकपुर

2. आरक्षी विमलेश कुमार

(5). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 06 वांछित/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(i). चौकी प्रभारी सीतापुर श्री प्रवीण कुमा सिंह तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं 236/2015 धारा 420/467/468/471/34 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त राजकरन पुत्र जौहरी निवासी रानीपुर भट्ट थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. चौकी प्रभारी सीतापुर श्री प्रवीण कुमार सिंह
2. आरक्षी शिवम गुप्ता
3. आरक्षी कुलदीप द्विवेदी

(ii). उ0नि0 श्री विनय विक्रम सिंह थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0- 370/2022 धारा 354क/354/323/504/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त हाशिम खां पुत्र नजीर निवासी बाबूटोला तरौंहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट तथा मु0न0 2402/2008 धारा 323/325/504/506 भादवि के वारण्टी अभियुक्त करीम पुत्र ननका निवासी डरियन टोला तरौंहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री विनय विक्रम सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह

(iii). चौकी प्रभारी जिलाकारागार श्री राजकुमार सिंह तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0स0 684/2012 धारा 323/504/506/427 भादवि के वारण्टी अभियुक्त चन्द्रिका प्रसाद पुत्र कोला निवासी रगौली थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट तथा मु0अ0सं0 604/2012 धारा 323/504/506/427 भादवि के वारण्टी अभियुक्त बलराम पुत्र राजबहादुर निवासी रगौली थाना कोवालाली कर्वी को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.चौकी प्रभारी जिलाकारागार श्री राजकुमार सिंह
2. मुख्य आरक्षी नूर मोहम्मद

(iv). निरीक्षक अपराध थाना राजापुर श्री अंजनी कुमार सिंह तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 236/2015 धारा 420/467/468/471/34 भादवि के वारण्टी अभियुक्त शिवाकान्त पुत्र हरीप्रसाद निवासी अन्जाही थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. निरीक्षक अपराध थाना राजापुर श्री अंजनी कुमार सिंह
2. आऱक्षी विजय पटेल
3. आरक्षी आकाश यादव
4. आरक्षी पंकज परिहार

(6). परिवार परामर्श केन्द्र ने द्वारा पति-पत्नी के आपसी विवाद को समाप्त कराते हुए परिवारों को टूटने से बचाया आपसी मतभेद/विवाद को भूल पति-पत्नी एक दूजे के साथ खुशी-खुशी रहने को हुए तैयार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र श्रीमती रीता सिंह द्वारा पति पत्नी के आपसी झगड़े को समाप्त कराकर पति-पत्नी के 02 दम्पत्ति जोडों में सुलह कराते हुये शादी के अटूट बन्धन को टूटने से बचाया।

आवेदक श्री विनोद कुमार रैकवार पुत्र स्व0 श्री मदन मोहन रैकवार निवासी मलकाना रोड सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट ने प्रार्थना पत्र दिया कि मेरी पत्नि एवं ससुरालीजन मेरे मुझे मानसिक रुप से प्रताडित कर रहे हैं एवं पत्नि को मायके ले गये हैं एवं बंटवारे की मांग करते हैं तथा आवेदक लल्लूराम पुत्र बच्चा निवासी सिद्धपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी पत्नि मानसिक व आर्थिक रुप से परेशान करती है। प्रभारी निरीक्षक परिवार परामर्श केंद्र श्रीमती रीता सिंह एवं उनकी टीम द्वारा शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर, द्वितीय पक्षों से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई झगड़ा न करने तथा पति/पत्नी के कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र द्वारा दोनो दम्पत्ति जोडों को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी तथा यह भी कहा गया कि आपस में तारतम्यता बनाकर रहें।

समझौता कराने वाली टीमः-

1. प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र श्रीमती रीता सिंह
2. महिला आरक्षी सुरुचि चौधरी
3. महिला आरक्षी रक्षा यादव
4. महिला आरक्षी मंजूलता पाल
5. महिला आरक्षी शिवांगी श्रीवास्तव
6. महिला आरक्षी दीपिका गौर